मॉड्यूल 4: किशोर न्याय बोर्ड

सत्र 3: किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका– समग्र परिप्रेक्ष्य

अवधि: 7:33 मिनट

मॉड्यूल 4 के सत्र 3 में आप सभी का स्वागत है।

इस सत्र में हम किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। कानूनी पक्षों के अलावा हम किशोर न्याय बोर्ड के कार्यों के सामाजिक आयामों पर भी चर्चा करेंगे।

इस सत्र के पूर्ण होने पर आप बता पाएंगे कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे की देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास सुनिश्चित करने में किशोर न्याय बोर्ड की क्या भूमिका है।

किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका का सामाजिक पक्ष

संरचना के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड की रूपरेखा ऐसी है कि यह, प्रधान मजिस्ट्रेट जो कि कानून के विशेषज्ञ होते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें बच्चों की देखरेख, संरक्षण, सुधार और पुनर्वास का अनुभव होता है, दोनों को एक साथ लाते हैं।

यह महत्वपूर्ण है कि सभी सदस्यों को अपने अनुभवों और ज्ञान को सम्मिलित करके कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे की व्यक्तिगत स्थिति और आवश्यकताओं पर समग्रता से समीक्षा करें। आईए इसे एक स्थिति की समीक्षा करने की गतिविधि के आधार पर समझें।

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे की जाँच में समग्र परिप्रेक्ष्य अपनाना

अभी हमने जिन स्थितियों की समीक्षा की है उनके आधार पर यह प्रतीत होता है कि चेतन को कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए क्योंकि उसके अपराध की प्रकृति, सूरज द्वारा किए गए अपराध की अपेक्षा अधिक गंभीर है। यद्यपि मामले को नजदीक से देखने पर दोनों बच्चों की पृष्ठभूमि तथा अपराध करने का सन्दर्भ अधिक स्पष्टता से दिखाई देता है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि सज़ा देने से पहले किसी भी व्यक्ति को बहुत सारे कारकों पर ध्यान देना होगा।

इन दो केसों में चेतन का अपराध स्पष्ट रूप से आत्म रक्षा के लिए है और यह भी दिख रहा है कि वह अपराधी या आपराधिक मानसिकता का नहीं है।

हालांकि सूरज स्पष्ट रूप से अपराधी गैंग से जुड़ा हुआ है और यदि उसे सुधारने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनाया गया तो वह दिन दूर नहीं है जब वह गंभीर अपराध भी करने लगेगा।

तो पहले जो सोचा गया या वह केवल एक चेतावनी और रिहाई का मामला है, किन्तु वास्तव में इसमें इससे अधिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है, सम्भवतः उसे संस्थान में रखकर सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए।

यह दोनों स्थितियाँ और इन्हीं के समान दूसरे मामले, सामाजिक पृष्ठभूमि जाँच रिपोर्ट के महत्व को दर्शाते हैं और किशोर न्याय बोर्ड किए गए अपराध की गंभीरता को देखकर पक्षपात न करें।

कानून के वो प्रावधान जो किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों को बच्चों[2] के मामले में संवेदित करना सुनिश्चित करते हैं

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के मामलों को देखते समय व्यापक परिप्रेक्ष्य अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में प्रावधान तत्सम्बन्धी नियम बनाए गए हैं जिससे किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य संवेदित हों और उनकी क्षमता का विकास हो सके।

धारा 4 उपधारा 5 के तहत, राज्य सरकारों को जिम्मेदार बनाया गया है कि नियुक्ति तिथि के 60 दिनों के भीतर बोर्ड के सभी सदस्यों, जिसमें बोर्ड के मुख्य मजिस्ट्रेट भी शामिल हों, उन्हें बच्चों की देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास, कानूनी प्रावधान और न्याय पर उन्मुखीकरण प्रशिक्षण तथा संवेदीकरण कराया जाए। इसके आगे मॉडल नियम 89 के तहत राज्य सरकारों को सभी हितधारकों के लिए जिसमें किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य भी शामिल हों, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए जिसमें उन्हें किशोर न्याय अधिनियम 2015 के क्रियान्वयन पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

आईए इस उद्धरण को पढ़ें

जब प्राचीन चीन के निवासियों ने शान्ति से रहने का निर्णय लिया तब उन्होंने चीन की महान दीवार बनवाई। उसके बनने के 100 वर्षों के भीतर उन पर तीन बार आक्रमण किया गया। आक्रमणकारियों ने कभी भी दीवार नहीं चढ़ी, उन्होंने पहरेदारों को घूस दी और वे दरवाजों से आए। चीनियों ने दीवार तो बनवाई किन्तु अपने पहरेदारों के चरित्र का निर्माण करना भूल गए। इसलिए व्यक्ति का चरित्र निर्माण हर प्रकार के निर्माण से पहले आता है। यदि आप किसी देश की सभ्यता को गिराना चाहते हैं तो उसके तीन तरीके हैं: पारिवारिक ढांचे को नष्ट कर दें, शिक्षा को नष्ट कर दें, आदर्शों और संदर्भों को नीचे कर दें।

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को मामलों को संवेदनशील तरीके से देखने तथा कार्यवाही करने के लिए कुछ मुख्य बिन्दू जिनका पालन किया जाना चाहिए–

- टीम वर्क महत्वपूर्ण है, मामलों को समग्रता से देखने के लिए अपने अनुभवों तथा विशेषज्ञता को एकजुट करें।
- बच्चे के साथ मेलजोल बनाएं और उसकी झिझक मिटाए ताकि वह सहज महसूस करे।
- बच्चे से बात करें ताकि वह खुलकर बात करने लगे।
- बच्चे के विचारों और सन्दर्भ को समझने के लिए समानुभूति प्रदर्शित करें।
- उन्हें सक्रियता से सुनें।
- अपनी टीम और अन्य कार्यकर्ताओं/कर्मियों के साथ समन्वय सुनिश्चित करें ताकि बच्चों को देखभाल, संरक्षण और सुधारात्मक सेवाओं से जोड़ा जा सके।

इन पक्षों पर हम मॉड्यूल 7 में विस्तार से चर्चा करेंगे।